रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122021-231515 CG-DL-E-01122021-231515

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4544]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 1, 2021/अग्रहायण 10, 1943

No. 4544]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021/AGRAHAYANA 10, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2021

का.आ. 4915(अ).—राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (2021 का 17) की धारा 46 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है, नामत:-

- 1. संक्षिप्त नाम और आरंभ (1) इस आदेश को राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (कठिनाई दूर करना) आदेश, 2021 कहा जाएगा।
 - (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- 2. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 में, धारा 15 की उप धारा (1) में निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत:-

"परंतु यह कि प्रथम नाम निर्देशन तथा पारिश्रमिक समिति में अध्यक्ष तथा धारा 6 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल होंगे।"

[फा. सं. 18/7/2019-आईएफ-I]

ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार

6934 GI/2021 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

ORDER

New Delhi, the 1st December, 2021

- **S.O. 4915(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 46 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 (17 of 2021), the Central Government hereby makes the following order, namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) This order may be called the National Bank for Financing Infrastructure and Development (Removal of Difficulties) Order, 2021.
 - (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021, in section 15, in sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that, the first Nomination and Remuneration Committee shall consist of the Chairperson and the directors nominated by the Central Government under clause (d) of sub-section (1) of section 6."

[F. No. 18/7/2019-IF-I]

LALIT KUMAR, Economic Adviser